समाहरणालय मुंगेर।
(जिला योजना कार्यालय)
कार्यादेश

एकीकृत कार्य योजनान्तर्गत जिला चयन समिति द्वारा चयनित निम्नांकित पथो के निर्माण हेतु अधीक्षण अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 177/क्षे0यो0, दिनांक 25.09.2013 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रद्त की गई है। सम्यक विचारोपरान्त योजनाओ के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मुंगेर को कार्यकारी एजेंसी नामित करते हुए अग्रलिखित शर्त्तो के साथ राशि विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

क्र0	प्रखंड	योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्त की जा रही राशि
1	2	3	4	5	6
1	धरहरा	दशरथपुर रेलवे गुमटी से बसौनी मोड़ भाया बंगलवा सड़क निर्माण	62738700.00	58118198.00	29059000.00
2	जमालपुर	रामपुर सामुदायिक भवन से इन्द्ररूख काली मंदिर तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य	21128200.00	19574050.00	9787000.00
		योग–	**83866900.00**	**77692248.00**	**38846000.00**

कुल विमुक्त की जा रही राशि मो0–38846000.00 (तीन करोड़ अठ्ठासी लाख छियालीस हजार) रू0 मात्र।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल मुंगेर को अग्रलिखित शर्त्तो के अधीन इस योजना का कार्य कराने का आदेश दिया जाता है–

शर्त्ते–

1. राशि उपलब्ध होने के बाद ही योजना का कार्यान्वयन करेंगे।
2. योजना के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध हो।
3. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व मध्य एवं पूर्ण होने के बाद फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करा कर अभिलेख में संधारित किया जाय।
4. योजना स्थल पर विस्तृत सूचना पट्ट लगायी जाय।
5. कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता लगातार योजना का निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे एवं योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेवार होगे।
6. गुण नियंत्रण प्रमंडल से गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
7. योजना का पूर्णता प्रमाण–पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
8. योज़ना के पूर्ण होने के बाद संबंधित प्रशासनिक विभाग को योजना के रख रखाव संधारण हेतु हस्तानांतरित करेंगे।
9. एकीकृत कार्य योजना अन्तर्गत योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत संकल्प निदेश के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
10. निविदा/एकरारनामा के Special Condition के प्रावधान के आलोक में तीन वर्षो की Defect liability Period में संवेदक अपने खर्चे पर पथ का रख रखाव करेंगे तथा इस Period के समाप्त होने के उपरांत ही Maintanance की राशि का व्यय किया जाएगा।
11. Contigency की राशि के व्यय का लेखा अलग से संधारित होना चाहिए।
12. योजना का कार्यान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
13. इस कार्यक्रम के तहत सामग्रियों एवं सेवा के क्रय तथ अधिप्राप्ति के मामले में बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण अनिवार्य होगा।
14. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित कर लेंगे की इस योजना में विगत 5 वर्षो में कार्य नही हुआ है।

15. कार्यकारी एजेंसी संवेदक को कार्य प्रारंभ होने से पूर्व Structureal Design उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
16. किसी भी योजना का Duplication नही हो।
17. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय/क्षेत्रीय योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
18. संबंधित विभाग से योजना का एन0ओ0सी0 प्राप्त कर ले।
19. योजना का कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
20. राशि का संधारण बिहार वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
21. किसी भी परिस्थिति में योजना की राशि का विचलन अन्यत्र नही होगा।

ह० —

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक ..../जि0यो0, दिनांक..........................

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला योजना कार्यालय से स्वीकृत राशि का चेक प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

ह० —

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक ..../जि0यो0, दिनांक..........................

प्रतिलिपि– नाजिर, जिला योजना कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को स्वीकृत राशि का चेक हस्तगत कराना सुनिश्चित करे।

ह० —

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 504/जि0यो0, दिनांक 3/10/13

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।